धारा 142 : प्रक्रीर्ण संक्रमणकालीन उपबंध

(1) जहां ऐसे किसी माल को, जिस पर किसी शुल्क का, यदि कोई हो, उसके हटाए जाने के समय विद्यमान विधि के अधीन संदाय किया गया था, जो नियत दिन से पूर्व छह मास से पूर्व का समय न हो, नियत दिन को या उसके पश्चात् कारबार के स्थान पर वापस लौटाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन संदत्त शुल्क की वापसी के लिए पात्र होगा जहां ऐसा माल नियत दिन से छह मास की अवधि के भीतर कारबार के उक्त स्थान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति को लौटाया जाता है तथा ऐसा माल उचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप से पहचान किए जाने योग्य है :

परन्तु उक्त माल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लौटाया जाता है, तो ऐसे माल की वापसी एक पूर्ति समझी जाएगी।

(2) **(क)** जहां नियत दिन से पूर्व किए गए किसी करार के अनुसरण में, किसी माल अथवा सेवा या दोनों की कीमत नियत दिन के पश्चात् अथवा उससे पूर्व ऊपर की ओर पुनरीक्षित की जाती है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों को हटाया या उपलब्ध कराया था, कीमत के ऐसे पुनरीक्षण से तीस दिन की अवधि के भीतर प्राप्तिकर्ता को, ऐसी विशिष्टियों को जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट करने वाला अनुपूरक बीजक अथवा नामे नोट को जारी करेगा तथा इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा नामे नोट को इस अधिनियम के अधीन की गई जावक पूर्ति के संबंध में जारी किया गया समझा जाएगा।

(ख) जहां नियत दिन से पूर्व किए गए किसी करार के अनुसरण में किसी माल अथवा सेवा या दोनों की कीमत नियत दिन के पश्चात् अथवा उससे पूर्व नीचे की ओर पुनरीक्षित की जाती है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों को हटाया या उपलब्ध कराया था, प्राप्तिकर्ता को, कीमत के ऐसे पुनरीक्षण से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसी विशिष्टियों को जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट करने वाले अनुपूरक बीजक अथवा नामे नोट को जारी कर सकेगा तथा इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा जमा पत्र को इस अधिनियम के अधीन की गई जावक पूर्ति के संबंध में जारी किया गया समझा जाएगा :

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को केवल तब जमा पत्र के जारी किए जाने पर उसके कर दायित्व को कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा यदि जमा पत्र के पाने वाले ने कर दायित्व में ऐसी कमी के तत्समान उसका इनपुट कर प्रत्यय घटा दिया है।

(3) विद्यमान विधि के अधीन सेनवेट प्रत्यय, शुल्क, कर, ब्याज की रकम अथवा विद्यमान विधि के अधीन संदत्त किसी अन्य रकम के प्रतिदाय हेतु किसी व्यक्ति के द्वारा नियत दिन से पूर्व या उसके पश्चात् फाइल किया गया प्रत्येक दावा, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाया जाएगा और अंततः उसे प्रोद्भूत होने वाली किसी रकम का केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख की उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय विद्यमान विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी नकद संदाय किया जाएगा :

परन्तु जहां सेनवेट प्रत्यय के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागतः नामंजूर किया जाता है, वहां इस प्रकार नामंजूर की गई रकम व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु यह और कि जहां नियत दिन को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रनीत किया गया है वहां सेनवेट प्रत्यय की रकम का कोई प्रतिदाय दावा

अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) नियत दिन के पूर्व अथवा उसके पश्चात् निर्यात किए गए किसी माल या सेवाओं के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन संदत्त किसी शुल्क अथवा कर के प्रतिदाय हेतु नियत दिन के पश्चात् फाइल किया गया प्रत्येक दावा, विद्यमान विधि के अनुसरण में निपटाया जाएगा :

परन्तु जहां सेनवेट प्रत्यय के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागतः नामंजूर किया जाता है वहां इस प्रकार नामंजूर की गई रकम व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु यह और कि जहां नियत दिन को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रनीत किया गया है वहां सेनवेट प्रत्यय की रकम का कोई प्रतिदाय दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(5) उपलब्ध न कराई गई सेवाओं के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन संदत्त कर के प्रतिदाय हेतु नियत दिन के पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा फाइल किया गया प्रत्येक दावा विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाया जाएगा और अंततः उसे प्रोद्भूत होने वाली किसी रकम का केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख की उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय विद्यमान विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नकद संदाय किया जाएगा।

(6) **(क)** सेनवेट प्रत्यय के लिए किए गए किसी दावे के संबंध में अपील, पुनर्विलोकन अथवा निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही को, चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन को या उसके पश्चात् आरम्भ किया गयाा था तथा दावाकर्ता को अनुज्ञेय पाई जाने वाली प्रत्यय की रकम का केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख की उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय विद्यमान विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नकद प्रतिदाय किया जाएगा और नामंजूर की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी :

परन्तु जहां नियत दिन को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रनीत किया गया है वहां सेनवेट प्रत्यय की रकम का कोई प्रतिदाय दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) सेनवेट प्रत्यय की वसूली के संबंध में अपील, पुनर्विलोकन अथवा निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही को चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन के पूर्व या उसके पश्चात् की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाया जाएगा तथा यदि कोई प्रत्यय की रकम, ऐसी अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश के परिणामस्वरूप वसूलनीय हो जाती है वहां उसकी, जब तक कि उसी रूप में विद्यमान विधि के अधीन वसूली न कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(7) **(क)** आउटपुट शुल्क अथवा कर दायित्व के संबंध में अपील, पुनर्विलोकन अथवा निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन से पूर्व या उसके पश्चात् आरंभ की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाई जाएगी तथा यदि ऐसी अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश के परिणामस्परूप कोई प्रत्यय की रकम वसूलनीय हो जाती है वहां उसकी, जब तक कि उसी रूप में विद्यमान विधि के अधीन वसूल न कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन शुल्क अथवा कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) आउटपुट शुल्क अथवा कर दायित्व के संबंध में अपील, पुनर्विलोकन अथवा निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन या उसके पश्चात् आरंभ की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाई जाएगी तथा दावाकर्ता को स्वीकार योग्य पाई गई दावाकृत रकम का, केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख की उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय, विद्यमान विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नकद प्रतिदाय किया जाएगा और अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन नकद इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(8) (क) जहां विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख से पूर्व या उसके पश्चात् संस्थित की गई किसी निर्धारण या न्यायनिर्णयन कार्यवाही के अनुसरण में कोई कर, ब्याज, जुर्माना अथवा शास्ति की रकम व्यक्ति से वसूलनीय हो जाती है, वहां जब तक कि विद्यमान विधि के अधीन वसूल न कर ली गई हो, तब तक इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी तथा इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) जहां विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन के पूर्व या उसके पश्चात् संस्थित की गई किसी निर्धारण या न्यायनिर्णयन कार्यवाही के अनुसरण में कोई कर, ब्याज, जुर्माना अथवा शास्ति की रकम कराधेय व्यक्ति को प्रतिदेय हो जाती है, वहां केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख की उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय, विद्यमान विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उसका उसे नकद प्रतिदाय किया जाएगा और अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(9) (क) जहां विद्यमान विधि के अधीन दी गई किसी विवरणी को, नियत दिन के पश्चात् पुनरीक्षित किया जाता है और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम वसूलनीय पाई जाती है अथवा सेनवेट प्रत्यय की रकम अननुज्ञेय पाई जाती है, वहां जब तक कि उसे विद्यमान विधि के अधीन वसूल न कर लिया गया हो, तब तक इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और अस्वीकार की गई रकम यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) जहां विद्यमान विधि के अधीन दी गई कोई विवरणी नियत दिन के पश्चात्, किन्तु विद्यमान विधि के अधीन ऐसे पुनरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर पुनरीक्षित की जाती है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम प्रतिदेय पाई जाती है अथवा सेनवेट प्रत्यय की कोई रकम किसी कराधेय व्यक्ति को अनुज्ञेय पाई जाती है, वहां विद्यमान विधि के अधीन जब तक कि उसका प्रतिदाय नहीं कर दिया गया हो, केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख की उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय, विद्यमान विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नकद प्रतिदाय किया जाएगा और वह अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(10) इस अध्याय में यथा उपबंधित के सिवाय नियत तारीख के पूर्व की गई किसी संविदा के अनुसरण में नियत तारीख को या उसके पश्चात् माल या सेवा अथवा दोनों की पूर्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर के लिए दायी होगी।

(11) **(क)** धारा 12 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन माल पर कोई कर उस सीमा तक संदेय नहीं होगा, जहां तक उक्त कर राज्य के मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अधीन उक्त माल पर उद्ग्रहणीय था।

(ख) धारा 13 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन माल पर कोई कर उस सीमा तक संदेय नहीं होगा, जिस सीमा तक वह वित्त अधिनियम, 1994 *(1994 का 32) के अध्याय 5 के अधीन उक्त सेवाओं पर उद्ग्रहणीय था।

(ग) जहां कोई कर मूल्य वर्धित कर अधिनियम और वित्त अधिनियम, 1994 (1944 का 32) के अध्याय 5, दोनों के अधीन किसी पूर्ति पर संदत्त किया गया था, वहां ऐसा कर इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय होगा, तथा कराधेय व्यक्ति नियत दिन के पश्चात् की गई पूर्तियों की सीमा तक विद्यमान विधि के अधीन संदत्त मूल्य वर्धित कर या सेवा कर के प्रत्यय को लेने के लिए हकदार होगा तथा ऐसे प्रत्यय की, उस रीति में जो विहित की जाए, संगणना की जाएगी।

(12) जहां कोई माल नियत दिन से छह मास से कम पूर्व अनुमोदन के आधार पर भेजा गया था और उसे नियत तारीख को या उसके पश्चात् क्रेता द्वारा नामंजूर किया जाता है या उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है और उसे विक्रेता को लौटा दिया जाता है, वहां उस पर कोई कर देय नहीं होगा यदि ऐसा माल नियत दिन से छह मास की अवधि के भीतर वापस किया जाता है :

परन्तु पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छह मास की अवधि को आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि कर, माल को वापस करने वाले व्यक्ति द्वारा संदेय होगा, यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी है तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस किया जाता है :

परन्तु यह भी कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय होगा जिसने अनुमोदन के आधार पर माल को भेजा है यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी है, तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है।

(13) जहां किसी पूर्तिकार ने माल का कोई विक्रय किया है, जिसके संबंध में मूल्य वर्धित कर से संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की किसी विधि के अधीन स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था और पूर्तिकार द्वारा नियत दिन के पूर्व बीजक भी जारी किया गया है, वहां धारा 51 के अधीन कटौतीकर्ता के द्वारा स्त्रोत पर किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी जहां उक्त पूर्तिकार को संदाय नियत तारीख के पश्चात् किया जाता है।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए ''पूंजी माल'', ''केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवेट) प्रत्यय'', ''प्रथम प्रक्रम व्यौहारी'', ''दूसरा प्रक्रम व्यौहारी'' अथवा ''विनिर्माता'' पदों का वही अर्थ होगा, जो उनका क्रमशः केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन है।

उपयुक्त नियमः नियम 118, 120 एवं 120क

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी टीआरएएन–1

* राजपत्र में (1944 का 32) छपा हुआ है।